

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 643]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2010—पौष 6, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. एफ ए-3-27-2010-1-पांच, (102).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2011 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1	कपास (ओटी हुई या बिना ओटी हुई)	सम्पूर्ण प्रवेश कर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. ए-3-27-2010-1-पांच, (102).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-27-2010-1-पांच, (102), दिनांक 27 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th December 2010

F. No. A-3-27-2010-1-V (102).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Table below from payment of entry tax under the said Act to the extent specified in column (3) of the said table for the period from the date of publication of this notification to 31st March, 2011 :—

TABLE

S.No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1	Cotton (ginned or unginned)	whole of entry tax

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl.Secy.